छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2017

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 15 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने पं. लखनलाल मिश्र (पेन्ड्रावन जलाशय) की एन.ओ.सी. के विषय में वक्तव्य दिया ।

सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, देवजी भाई पटेल, धनेन्द्र साहू, सदस्य ने विचार व्यक्त किये। श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस अधीक्षक द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संबंध में आरोपात्मक बयान दिये जाने के संबंध में शासन से वक्तव्य की मांग की।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने शराब दुकानों का विरोध कर रही जनता पर कार्यवाही किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की एवं सी.डी. पटल पर रखने की अनुमति चाही।

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपकी सूचना अग्राह्य कर दी गई है तथा व्यवस्था दी कि - सभा के समक्ष कोई विषय विचाराधीन नहीं है। सभा पटल के लिए अनुमति नहीं है। इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। आपकी ध्यानाकर्षण सूचना निर्णयाधीन है।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लखन देवांगन, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-2017 **पटल पर रखा।**

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, दिलीप लहरिया, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, मनोज सिंह मंडावी, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर सड़क से लगे पेड़ से दुर्घटनाएं घटित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री मोतीलाल देवांगन (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नही हुई।)

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री संतोष बाफना
(3) श्री मोहन मरकाम
(4) श्री अमरजीत भगत
(5) श्री नवीन मारकण्डेय

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अशोक साहू, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय सभापति ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज, दिनांक 3 मार्च, 2017 की तिथि निर्धारित की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

12. वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16,17, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 39, 41, 53, 64, 67, 75, 80 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार दो सौ पचास करोड़, इकतालीस लाख, उनहत्तर हजार, पंचानबे रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा में उपस्थित हुए।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री कवासी लखमा, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, भोलाराम साहू, श्याम बिहारी जायसवाल, मोहन मरकाम, डॉ. सनम जांगड़े, श्री संतराम नेताम, डॉ. विमल चोपड़ा, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2017 (क्रमांक-2 सन् 2017)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2017 (क्रमांक-2 सन् 2017) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2017 (क्रमांक-2 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अपराह्न 3.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2017 (फाल्गुन-15, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा